

रामलाल

किस्म मुकदमा :- 212 A.T. A.P

बनाम सरदार

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर ..... 02 वर्ष 2024
24-4-25	<p>शार एसो. स्वयं</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब तौर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ..... 15-5-25 को पेश हो।</p>	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15-5-25	<p>शार एसो. स्वयं</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब तौर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ..... 26-6-25 को पेश हो।</p>	
26-6-25	<p>शार एसो. स्वयं</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब तौर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ..... 24-7-25 को पेश हो।</p>	
24-7-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब तौर/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक ..... 11-9-25 को पेश हो।</p>	
11-9-25	<p>पत्रावली पेश हुई। अभ्यपक्ष के वकील उपा उपकरण में ब्रह्म सुनी गयी। अभ्यपक्ष अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि मूलवाद के निस्तारण तक अभ्यपक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्राथमिक का प्रार्थना- पत्र स्वीकार किया जाकर अभ्यपक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली के सल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)